भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1797

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

कोयला खनन का पर्यावरण पर प्रभाव

1797. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में पर्यावरण पर कोयला खनन के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्य में पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन में संचालित हो रही कोयला खदानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसे मानदंडों के उल्लंघन के लिए किसी कोयला खदान को दंडित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोयला खनन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले वायु और जल प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : सांविधिक पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के भाग के रूप में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के माध्यम से ऐसी किसी परियोजना के शुरू होने से पहले कोयला खनन के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाता है।

असम में, कोयला मंत्रालय के तहत कोल इंडिया लिमिटेड की एक शाखा, नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी) की प्रचालनरत तिकक एक्सटेंशन ओपनकास्ट परियोजना (0.2 एमटीपीए) और आगामी तिरप ओपनकास्ट परियोजना (0.6 एमटीपीए) के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) किया गया है तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार की गई है।

इसके अलावा, खनन प्रचालनों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता (बहिस्राव, पेयजल और अपवाह जल सहित) और शोर के स्तर की नियमित निगरानी की जाती है।

(ख) : वर्तमान में, एनईसी के पास केवल एक प्रचालनरत खान अर्थात् तिकक एक्सटेंशन ओसीपी (0.2 एमटीपीए) है और यह पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन करते हुए प्रचालनरत है।

(ग) : पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन के लिए प्रचालनरत खान अर्थात् तिकक एक्सटेंशन ओसीपी पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई है।

(घ) : कोयला खनन कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाले वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत एक व्यापक विनियामक ढांचा स्थापित किया है।

केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत एक विनियामक उपकरण के रूप में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया तैयार की है। उक्त अधिनियम के तहत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 को अधिसूचित किया है जो कोयला कंपनियों द्वारा तैयार ईआईए रिपोर्टों के व्यापक विश्लेषण के बाद पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्रदान करने की प्रक्रिया से संबंधित है।

संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रचालन के लिए सहमति जारी करते हैं ताकि उत्सर्जन/अपशिष्ट मानकों के अनुपालन की निगरानी की जा सके और जल एवं वायु अधिनियमों के प्रावधानों के तहत उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी) में, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों में नियंत्रित ब्लास्टिंग, कोयला साइडिंग पर स्थाई जल छिड़काव, हॉल रोड्स पर धूल दमन के लिए पानी के टैंकरों को संस्थापित करना, तिरपाल से ढके ट्रकों का उपयोग, वेट ड्रिलिंग, खनन उपकरणों और वाहनों का नियमित रखरखाव, आवधिक पर्यावरणीय निगरानी और वृक्षारोपण संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं। जल प्रदूषण को रोकने के लिए, अपशिष्ट अवशोधन सुविधाएं, न्यूट्रलाइजेशन-कम-सेडिमेंटेशन टैंक, तेल और ग्रीस ट्रैप, सिल्टेशन पॉन्ड, मिट्टी की गार्लैंड नालियां और बहिस्राव की किस्म की नियमित निगरानी की गई है।
